MADHYA PRADESH The heart of Incredible India	**मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड** **छटवी मंजिल, लिली ट्रेड विंग, जहांगीराबाद भोपाल (म.प्र.)** **पिनकोड – 462008** **Website: - http://www.tourism.mp.gov.in**

NIT NO.- 2025_MPTB_412140 **Date: 25/03/2025**

<u>वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निविदा पत्र</u>

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल को शासकीय कार्य हेतु **आवश्यकता के अनुसार वाहन किराये पर लेने के लिये वार्षिक अनुबंध पर पंजीकृत वाहन प्रदायकर्ताओ से** ऑनलाइन निविदाये दिनांक. 21/04/2025 सांय 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत निविदा प्रपत्र वेबसाइट **http://www.tourism.mp.gov.in एवं www.mptenders.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है। अधिक जानकरी हेतु संपर्क श्री अंकित कौरव (कंपनी सचिव) मो. - **9407057416** ईमेल- cs.mptb@mp.gov.in करे।

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल
छटवीं मंजिल, लिली ट्रेंड विंग, जहांगीराबाद भोपाल 462008

क्रं NIT NO.- 2025_MPTB_412140 Date**: 25/03/2025**

<u>वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना</u>

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल, को शासकीय उपयोग हेतु 2023 अथवा इसके पश्चात के माडॅल के इनोवा क्रिष्टा (समकक्ष), स्विफ्ट डिजायर/ हुंडई ऑरा / होंडा अमेज (समकक्ष), स्कॉर्पियो/क्रेटा (समकक्ष), बोलेरो/ बोलेरो N, सियाज (समकक्ष), फॉर्च्यूनर, पजेरो एवं समकक्ष आदि लगभग 20 वाहन आवश्यकतानुसार किराये पर लिये जाने है जिससे मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड आवश्कतानुसार कम या ज्यादा कर सकेगा|

निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत निविदा शर्ते, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट **http://www.tourism.mp.gov.in एवं www.mptenders.gov.in** पर उपलब्ध है। निविदाकार द्वारा निविदा का कुल मूल्य रू. 5900/-(GST 18% सहित) (पॉच हजार नौ सौ मात्र) ऑनलाइन www.mptenders.gov.in के माध्यम से जमा करना होगा।

निविदा जारी करने की दिनांक	दिनांक 26/03/2025
प्री बिड बैठक की दिनांक एवं समय	दिनांक 03/04/2025 समय दोपहर 12 बजे
निविदा ऑनलाइन जमा करने की शुरु दिनांक एवं समय	दिनांक 09/04/2025 समय दोपहर 12 बजे से
निविदा ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 21/04/2025 समय 03 बजे तक
तकनीकी निविदा प्रस्ताव खोलने का समय एवं दिनांक	दिनांक 22/04/2025 समय 03 बजे निविदाकारों अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष
वित्तीय ऑनलाइन प्रस्ताव खोलने का समय एवं दिनांक	पृथक से सूचित किया जाएगा

निविदा ऑनलाइन पद्वति के आधार पर जमा करना होगी।

अ : तकनीकी प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करना होगी।

ब : वित्तीय प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करना होगी।

तकनीकी प्रस्ताव में दस्तावेज निविदा प्रपत्र-3 के साथ संलग्न चेकलिस्ट के अनुसार जमा करने होंगे।

किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को होगा।

वाहन किराये पर लेने हेतु नियम एवं शर्ते

1. तकनीकी व वित्तीय योग्यता

1) वाहन प्रदाता का RTO रजिस्ट्रेशन, गुमाश्ता, एम एस एम ई(MSME) के वैध पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करे|
2) वाहन प्रदाता का वैध जीएसटी पंजीयन एवं **3 बी रिटर्न** की विगत एक वर्ष की छायाप्रति संलग्न करे|
3) वाहन प्रदाता के पेनकार्ड के स्वप्रमाणित कॉपी की छायाप्रति संलग्न की जावे|
4) शासकीय संस्था/संगठन के विगत 03 वर्ष (2021-22, 2022-23,2023-24) में किए गए कार्य का अनुभव के स्वप्रमाणित छायाप्रति जिसमें कार्य संतुष्टि प्रमाणपत्र एवं वर्तमान में किसी एक शासकीय विभाग के अंतर्गत कम से कम 10 वाहनों का संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करावे|
5) वाहन के रजिस्ट्रशन कॉपी, बीमा पालिसी, परमिट एवं फिटनेश, वाहन का प्रदूषण निवारण मंडल के अंतर्गत परिवहन विभाग के नियम निर्देशों के अंतर्गत प्रमाण पत्र,वाहन का पंजीकरण क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भोपाल में वाणिज्यिक वाहन उपयोगकर्ता के रूप में दर्ज होने का प्रमाण पत्र आदि की छाया प्रति संलग्न की जावे|
6) वाहन प्रदाता का विगत तीन वित्तीय वर्षो 2021-22, 2022-23,2023-24 का औसत टर्नओवर कम से कम रूपये 1 करोड़ का होना अनिवार्य है। टर्न ओव्हर प्रमाण-पत्र संलन निर्धारित प्रपत्र-3 में दी जावे|
7) निविदाकार के पास संस्था के नाम पर टैक्सी के रूप में आर.टी.ओ. में पंजीकृत कम से कम 10 वाहन वर्ष 2022 के अथवा इसके पश्चात के माडॅल के होना अनिवार्य होगा। वाहन कि सूची संलन निर्धारित प्रपत्र-5 में दी जावे|
8) वाहन का प्रदूषण सम्बन्धी निर्धारित प्रमाणपत्र नियमित अन्तराल पर प्रस्तुत करना होगा ।
9) निविदाकार को विगत 03 वर्षो मे यदि किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा किसी कारण से प्रतिबंधित किया गया है तो निविदाकार की निविदा मान्य नहीं की जावेगी, इस सम्बन्ध में Self Diclaration प्रस्तुत करना होगा ।

नोट:-उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बंधित दस्तावेज एवं निविदा के Annexures प्रस्तुत किए जायें|

2. निविदा शुल्क एवं सुरक्षा निधि

1) तकनीकी निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम दिनांक 21/04/2025 समय 03 बजे तक है। तकनीकी निविदायें 22/04/2025 समय 03 बजे निविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएंगी।
2) निविदा पत्र के साथ रूपये 2,00,000/- (दो लाख रूपये मात्र) की प्रतिभूति राशि ऑनलाइन जमा करना होगी।

3) चयनित निविदाकार से प्राप्त प्रतिभूति राशि, अनुबंध हस्ताक्षरित होने के पश्चात Security Deposit के रूप में अनुबंध अवधि तक रखी जायेगी। शेष निविदाकर्ताओ को प्रतिभूति राशि वित्तीय निविदा खुलने के 30 दिनों में वापिस की जायेगी, इस प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

4) प्री-बिड मीटिंग मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड कार्यालय में दिनांक 03/04/2025 समय दोपहर 12 बजे आहूत की जायेगी। इच्छुक निविदाकार अपने सुझाव/प्रश्न हेतु मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड कार्यालय की प्रशासन शाखा के समक्ष दोपहर 12.00 बजे प्री-बिड मीटिंग में उपस्थित हो सकते है।

3. चयन प्रक्रिया

निविदाकार द्वारा वित्त प्रस्ताव (A) में विभिन्न वाहनों के प्रकारों(6) में सबसे अधिक प्रकारों में L1 न्यूनतम दर (मासिक किराया 1500 कि.मी. रनिंग के लिये (A1)) में प्रस्तुत कि गई हो उस निविदाकार का चयन किया जाएगा व् निविदाकार को अन्य वाहनों के प्रकारों में अन्य निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत कि गई L1 न्यूनतम (मासिक किराया 1500 कि.मी. रनिंग के लिये (A1)) दरों एवं 1500 कि.मी. के बाद प्रति कि.मी.की दरें (A2) को स्वीकार किया जाना होगा अगर विभिन्न वाहनों के प्रकारों में एक से अधिक L1 निविदाकारों, वाहनों की प्रकारों संख्या में समानता L1 पाए जाते है (जैसे कि एक निविदाकार द्वारा L1 दर दो या तीन प्रकारों में प्रस्तुत कि जाती है और दुसरे निविदाकार द्वारा L1 दर दो या तीन प्रकारों में प्रस्तुत की जाती है) तो पुनः वित्तीय निविदा आमंत्रित कि जा कर निविदाकार का चयन किया जाएगा एवं चयनित निविदाकार को 1500 कि.मी. के बाद प्रति कि.मी.की L1 न्यूनतम दरें (A2) पर और दैनिक आधार पर भी वाहन किराये पर उपलब्ध कराने होंगे, दैनिक आधार पर वाहनों की दरें प्रपत्र B में (B1,B2,B3), प्राप्त समस्त प्रस्तावों में न्यूनतम दरें,चयनित निविदाकर्ता को मान्य करनी होगी| एवं चयनित निविदाकार द्वारा अन्य वाहनों के प्रकारों में अन्य निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत कि गई L1 न्यूनतम दरों को स्वीकार नहीं की जाती है तो समिति द्वारा उचित निर्णय लिया जा कर कार्यवाही की जावेगी|

4. निविदा की अन्य नियम एवं शर्ते

1. वाहन किराया दर में डीजल/पेट्रोल (पी.ओ.एल.) वाहन चालक का वेतन, वाहन की मरम्मत, रखरखाव आदि समस्त व्यय सम्मिलित होंगे। पृथक से किसी भी प्रकार का कर, प्रभार, उपकर अथवा अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा। किराये के अतिरिक्त GST का भुगतान पृथक से किया जायेगा।
2. वाहन प्रदाता एजेन्सी का नियमानुसार जी.एस.टी हेतु पंजीयन अनिवार्य है। इस बाबत् जारी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जाना आवश्यक है, अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जायेगी।
3. अनुबंध अवधि के दौरान यदि शासन द्वारा पेट्रोल/डीजल की दर में कोई वृद्धि / कमी की जाती है तो दरें परिवर्तनीय नहीं होगी।

4. प्रत्येक वाहन को प्रतिमाह न्यूनतम 1500 कि.मी. के मान से भुगतान किया जायेगा एवं 1500 कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. की दर से भुगतान किया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों के यदि कोई वाहन 15 दिवस से अधिक समय तक अधिकारी द्वारा उपयोग के लिये नहीं लाया जाता है तो न्यूनतम 1500 कि.मी. की सीमा शिथिल करते हुये वास्तविक दूरी के आधार पर भुगतान किया जावेगा।
5. वाहन से सम्बंधित रजिस्ट्रेशन/बीमा/रोड टेक्स एवं अन्य समस्त शासकीय कर आदि वाहन प्रदाता को वहन करना होगा व उन्हें अद्यतन रखने की जिम्मेदारी भी उसी की रहेगी। वाहन का Comprehensive insurance होना अनिवार्य होगा।
6. वाहन व वाहन चालक से संबंधित समस्त मूल दस्तावेज वाहन के साथ में रखे जाने आवश्यक होंगे व एक प्रति कार्यालय में भी जमा करना होगा।
7. वाहन प्रदाता वाहन के साथ वैध (Valid) कामर्शियल ड्रायविंग लायसेंस धारी वाहन चालक भी उपलब्ध करायेगा, जिसका वेतन, पी.एफ., ई.एस.आई., भत्ते, उपयुक्त ड्रेस, बीमा सुविधा आदि समस्त विधिक औपचारिकताओं का उत्तर दायित्व वाहन प्रदाता का होगा।
8. वाहन चालक को 24 घंटे कार्यशील मोबाईल सुविधा प्रदान करना आवश्यक होगा, वाहन चालक अच्छे चाल चलन वाले एवं परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित कामर्शियल वाहन चालक के ड्रेस कोड में रहना चाहिए।
9. सामान्यत: वाहन की सेवाएं प्रतिदिन, सप्ताह के सातों दिन व पूरे माह बिना किसी अवकाश उपलब्ध कराई जानी आवश्यक होंगी। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों जैसें- स्टेशन/एयरपोर्ट, बैठको आदि के लिये वाहन चालक को अन्य विर्निदिष्ट समय में निर्देशानुसार सेवा प्रदान करने हेतु तत्पर रहना होगा यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी। इसके लिये पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
10. एजेंसी के समस्त अनुबंधित वाहनों के चालको को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में नियमानुसार वेतन भुगतान करना होगा । वाहन चालको का वेतन किसी भी परिस्थिति में बोर्ड द्वारा भुगतान से सम्बद्ध नहीं किया जायेगा ।
11. वाहन की बाहरी एवं आंतरिक साज सज्जा एवं नियमित सफाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी। वाहन के सीट कवर आदि को 07 दिवस में बदला जाना अनिवार्य होगा।
12. वाहन के स्वामित्व आदि में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। वाहन मध्यप्रदेश में पंजीकृत टैक्सी वाहन होना चाहिए। आवश्यकतानुसार वाहन शासकीय कार्य हेतु राज्य के बाहर भी ले जाये जा सकते है, जिसकी नियमानुसार अनुज्ञा लेने का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा।
13. वाहन चालक द्वारा अपने कर्तव्य पर उपस्थिति के दौरान गुटखा, तम्बाकू, धूम्रपान एवं नशे संबंधी गतिविधियाँ पूर्णतः वर्जित होंगी। वाहन चालक का पुलिस से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। वाहन प्रदाता इस आशय का प्रमाणपत्र बोर्ड में प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा वाहन चालक का पुलिस सत्यापन करा लिया गया है। यदि अधिकारी द्वारा इस संबंध में शिकायत की जाती हैं तो उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा।

14. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन खराब होने अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने के अतिरिक्त संबंधित अधिकारी की सहमति के उपरान्त ही वाहन या वाहन चालक बदले जा सकेगें। बिना स्वीकृति के वाहन बदले जाने पर भुगतान नहीं किया जावेगा। अनुबंध की अवधि में आवंटित वाहन बोर्ड के अधिपत्य में रहेगा। वाहनों का उपयोग वाहन प्रदाता अन्य कार्यों में नही कर सकेगा।
15. परिवहन नियमों के विपरीत वाहन के संचालन या वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने जैसी अन्य स्थितियों में किसी भी प्रकार के जुर्माना की राशि को भरने या अन्य वैधानिक कार्यवाही के लिए द्वितीय पक्षकार स्वयं उत्तरदायी होगी।
16. निविदाकार का कार्यालय भोपाल में होना अनिवार्य होगा एवं स्थानीय एवं स्थायी पते की छायाप्रति संलग्न करें।
17. वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा अवकाश पर जाने तथा वाहन का उपयोग नहीं करने पर इसकी सूचना निविदाकार/एजेंसी द्वारा विभाग को दिया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा लॉगबुक में उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा अवकाश पर रहने एवं वाहन का उपयोग नहीं करने पर प्रविष्टि करने पर उस समयावधि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
18. निविदा स्वीकृत होने पर अनुबंधित संस्था के निविदा दिनांक से एक माह में बोर्ड द्वारा बताये गये विशिष्टताओं के वाहन उपलब्ध कराना होंगे अन्यथा वाहनों का भुगतान नहीं किया जावेगा।
19. वाहन में लॉगबुक उपलब्ध करायी जाना आवश्यक होगा जिसमें उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा दैनिक आधार पर कि.मी. अंकित की जाकर पुष्टि की जाएगी। उपयोग करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लॉग-बुक की छायाप्रति को वाहन प्रदाता द्वारा सत्यापित की जाकर कर देयक के साथ संलग्न की जाना अनिवार्य होगा। अधिकारी के वाहन का उपयोग प्रारम्भ करने व मुक्त करने तक किलोमीटर मान्य होगा, अर्थात कि.मी की गणना अधिकारी के आवास/ कार्यालय से की जायेगी।
20. यदि किसी वाहन पर ड्राइवर नियुक्त नहीं किया जाता है तो मासिक किराये में वाहन चालक का वेतन भुगतान नहीं किया जायेगा।
21. वाहन की मरम्मत, रखरखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व द्वितीय पक्षकार का होगा एवं सुधार कार्य हेतु ले जाने की स्थिति में उसी श्रेणी का अन्य वाहन सेवा में लगाना होगा अन्यथा सुधार अवधि का किराया देय नहीं होगा। वाहन मरम्मत आदि हेतु किसी भी प्रकार का भुगतान कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा। वाहन की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी वाहन प्रदाता फर्म की होगी।
22. रास्ते में सामान्यतः दो घण्टे से अधिक वाहन खराब रहने पर उस दिन का किराया भुगतान नहीं किया जावेगा। वाहन के खराब होने के स्थान से गैराज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदाता का होगा। साथ ही अन्य वाहन भी उपलब्ध कराना होगा। यदि अधिकारी को ऐसी स्थिति में स्वयं वाहन किराये पर लेकर यात्रा की जाती हैं तो उसका भुगतान ट्रेवल एजेंसी द्वारा किया जायेगा।
23. वाहन चालको को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक दर (जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित) से कम भुगतान नहीं किया जावेगा और उनकी भविष्य निधि से संबंधित औपचारिकतायें पूर्ण की जावेगी। वाहन चालको कि वेतन राशि कि सूची मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा|

24. यदि किसी कारणवश कार्यदिवस में वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता हैं तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक एक दिवस की अनुपस्थिति के लिए दो दिन का भुगतान काटा जावेगा।
25. कार्यालय द्वारा निर्देशित किये जाने के अतिरिक्त सामान्यतः प्रबंध संचालक एवं अपर प्रबंध संचालक का वाहन वाहन प्रदाता के स्वामित्व का होगा ।
26. बोर्ड को प्रदाय किये जाने वाले समस्त वाहनों का मॉडल 2023 अथवा इसके पश्चात का होना अनिवार्य हैं। आर.टी.ओ. द्वारा टैक्सी परमिट हेतु आवंटित वैध नम्बर व नम्बर प्लेट के बिना कोई भी वाहन कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
27. कार्यालय की आवश्यकतानुसार स्वीकृत L1 दरों पर अन्य ट्रेवल्स ऐजेंसी(जो निविदाकार तकनीकी रूप से सफल हुए हो) से भी वाहन किराये पर लिये जा सकते हैं।
28. कार्यालय की आवश्यकता अनुसार स्वीकृत L1 दरों पर मध्यप्रदेश के अन्य शहरों में भी वाहन उपलब्ध कराने होंगे ।
29. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात 01 माह की अवधि में निविदा की शर्त अनुसार वाहन उपलब्ध कराने होंगे। शर्तो का उल्लंघन करने अथवा निर्देशानुसार वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं संस्था को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।
30. निविदा के संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा। अनुबंध उपरान्त वाहन प्रदाता फर्म द्वारा, बोर्ड को एक सक्षम व्यक्ति का फोन / मोबाईल नं. उपलब्ध कराया जायेगा जिस पर आवश्यकतानुसार किसी भी समय सम्पर्क किया जा सके।
31. देयको से नियमानुसार आयकर एवं अन्य लागू होने वाले करों की कटौती की जावेगी।
32. शासकीय कार्य से अधिकारी के प्रवास पर होने एवं म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम को होटल्स में न रूकने की स्थिति में ड्राइवर को रूपये 200/- रात्रि विश्राम भत्ते की पात्रता होगी जो बोर्ड द्वारा भुगतान किया जायेगा, इस हेतु वाहन प्रदाता फर्म पृथक से देयक प्रस्तुत करेगी जिसमें भ्रमण पर जाने वाले अधिकारी का सक्षम अधिकारी (अपर प्रबंध संचालक / प्रबंध संचालक) से अनुमोदित दौरा कार्यक्रम संलग्न करना होगा।
33. निविदा की शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
34. निविदा निविदाकर्ताओं या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष नियत समय पर खोली जायेगी। निविदायें खोले जाते समय यदि किसी कारणवश कोई भी निविदाकार या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहने में असफल रहता है तब भी निविदा खोले जाने की आवश्यक कार्यवाही बिना कोई प्रतीक्षा किये सम्पन्न की जावेगी तथा इस विषय में उठाई गई कोई भी आपत्ति विधिमान्य नहीं होगी।
35. निविदा स्वीकृति उपरांत एक वर्ष का अनुबंध किया जावेगा। सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर दोनों पक्षों की सहमति पर एक वर्ष पश्चात सेवा अवधि में आगामी 02 वर्ष तक 01-01 वर्ष की वृद्धि और की जा सकेगी।

36. निविदाकर्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना उपरांत वाहन हटाये जा सकेगें, परंतु सेवायें संतोषजनक नहीं होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय अनुबन्ध समाप्त किये जाने का अधिकार प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल के पास सुरक्षित होगा। इस स्थिति में जमा प्रतिभूति राशि भी जप्त की जा सकती है।
37. वाहन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद होने पर उसके निराकरणका उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं यदि काई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी भी वाहन प्रदाता की होगी।
38. मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के कार्य से वाहन बाहर ले जाते समय यदि कोई टोल टैक्स का भुगतान किया जाता है तो वह देयक के साथ प्रस्तुत की गई रसीदों के आधार पर भुगतान किया जा सकेगा। एजेंसी द्वारा वाहन चालक को वाहन मुख्यालय से बाहर ले जाने पर ईधन (पी.ओ.एल.) एवं वाहन मरम्मत आदि हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाना आवश्यक है एवं समस्त वाहनों में FASTAG अनिवार्य होगा एवं फास्टटेग में प्रत्येक वाहन में न्यूनतम राशि रू. 1000 का एडवांस बैंलेंस होना अनिवार्य होगा। यदि किसी टोल नाके पर फास्टटेग में बेलेंस न होने पर पेनाल्टी क रूप में राशि रु 500/- (प्रति टूर) मासिक एवं देनिक देयक में से काटी जावेगी।
39. निविदाकार संलग्न प्रारूप में एक शपथ पर 100 रूपये के गैर न्यायिक स्टॉम्प पर (नोटराइज्ड) प्रस्तुत करेगा।
40. निविदाकार को दर अनूसूची में वाहन किराया दर, प्रत्येक खानों में भरा जाना अनिवार्य है अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
41. वाहन प्रतिमाह निर्धारित सीमा (1500 कि.मी.) से अधिक उपयोग होने पर उपयोगकर्ता अधिकारी से लॉगबुक में अधिक उपयोग के संबंध में स्पष्ट कारणों का उल्लेख कराया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा अतिरिक्त कि.मी. का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जावेगा।
42. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों में रीडिंग बढाई जाने अथवा माईलोमीटर में गडबडी किये जाने पर तत्काल अनुबंध निरस्त करने की एक पक्षीय कार्यवाही करने का अधिकार प्रबंध संचालक पर्यटन बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा।
43. अनुबंध अवधि में वाहन पूर्ण रूप से कार्यालय के आधिपत्य में रहेंगे, इस कारण उक्त वाहनों का उपयोग वाहन प्रदाता अन्य कार्यो में नहीं कर सकेगा।
44. उपरोक्त सभी नियम एवं शर्ते वाहन प्रदाय करने की दिनांक से लागू होंगी तथा इनका पालन एजेंसी को सुनिश्चित करना बंधनकारी होगा।
45. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन कार्य क्षेत्र भोपाल न्यायालय का माना जावेगा।
46. निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल का होगा।
47. निविदा के नियम एवं शर्तों में संशोधन एवं अनुबंध निरस्ती का अधिकार प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज़म बोर्ड, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा की किसी शर्त में यदि कोई अस्पष्टता होने पर प्रबंध संचालक का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड

प्रपत्र – 1

निविदा प्रपत्र

निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

क्रं	विवरण	विवरण
1	निविदाकार ट्रेवल्स एजेंसी का पूरा नाम	
2	निविदाकार का नाम	
3	पंजीकृत कार्यालय का नाम व स्थाई पता एवं स्थानीय पता	
4	दूरभाष / मोबाइल नं.	
5	निविदाकार का आयकर विभाग का PAN (फोटाकापी संलग्न करें)	
6	GST पंजीयन क्रं. (फोटाकापी संलग्न करें)	
7	संस्था का रजिस्ट्रेशन क्रमांक : (फाटोकापी संलग्न करे)	
8	परिवहन व्यवसाय का RTO पंजीयन क्रमांक	
9	संस्था का बैंक विवरण	बैंक का नाम: शाखा का नाम: अकाउंट नं. : आई एफ एस सी कोड :
10	निविदाकार के वाहनों के क्रमांक एवं वैधता का विवरण (प्रपत्र अ) में जानकारी / छायाप्रति संलग्न करें।	
11	पूर्व अनुभव (शासकीय विभागों/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रमों में किये गये कार्य से संबंधित कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करें)	
12	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का रजिस्ट्रेशन नंबर (प्रति संलग्न)	
13	कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का रजिस्ट्रेशन नंबर (प्रति संलग्न)	

14	निविदाकार के कारोबार का विवरण (टर्न ओवर) (उपरोक्त के संदर्भ में Chartered Accountant का सर्टिफिकेट संलग्न करे) **(UDIN generated Certificate)**	वर्ष 2021-22 रूपये .... लाख वर्ष 2022-23 रूपये .... लाख वर्ष 2023-24 रूपये .... लाख
15	क्या किसी न्यायालय में निविदाकार के विरूद्ध कार्य दावा या वाद प्रचलित हैं, यदि हाँ तो संबंधित न्यायालय का नाम एवं वाद / दावा के स्वरूप का विवरण अंकित करें।	प्रमाण पत्र संलग्न करें
16	निविदा के साथ प्रतिभूति के रूप में जमा कराई गई राशि रूपये 2,00,000/- (दो लाख मात्र) ऑनलाइन जमा करना होगी।	ऑनलाइन रशीद

निविदाकार / एजेंसी के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्रपत्र – 2

<u>शपथ पत्र का प्रारूप</u>

<u>रूपये 100/- के गैर न्यायिक मुद्रांक (नांन ज्यूडिसियल स्टॉम्प पर) नोटरी द्वारा प्रमाणित</u>

1. मै........................ पुत्र / पुत्री .... उम्र.................. पता.............................. थपथ पूर्वक निम्नलिखित कथन करता / करती हूँ कि :-
   मै निविदाकार .... (फर्म/ट्रेवल्स एजेंसी) का .... (एकल स्वामी / साझेदार / संचालक / मैनेजर / अधिकृत प्रतिनिध) हूँ तथा यह निविदाकार वर्तमान में वैधानिक रूप से पंजीकृत कार्यालय का पता .... है।
2. मैने निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ समझ लिया है तथा उसमें वर्णित शर्ते मुझे तथा सेवा प्रदाता को मान्य है।
3. निविदा में वर्णित सभी कार्यों को संपादित करने के लिये मेरे / मेरी संस्था / ट्रेवल्स एजेंसी को समस्त आवश्यक वैधानिक अनुज्ञाप्तियां, पंजीकरण तथा स्वीकृतियां प्राप्त है।
4. मेरे या मेरी संस्था को गत 03 वर्षो में किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा किसी भी कारण से प्रतिबंधित नहीं किया गया है एवं कोई भी न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
5. मेरे / मेरी संस्था द्वारा शासन के निर्धारित दरों के अनुसार समस्त करों का भुगतान नियमित रूप से किया गया है।
6. मेरे या मेरी संस्था को आपराधिक प्रकरण एवं न्यायालय या अन्य संस्था द्वारा बाधित नहीं किया गया है।
7. निविदा की शर्तो का उल्लंधन पाये जाने के कारण मेरे / मेरी संस्था द्वारा प्रस्तुत निविदा अमान्य किये जाने पर मुझे / मेरी संस्था को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. मेरे / मेरी संस्था / ट्रेवल्स एजेंसी द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गयी सभी जानकारियां पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणिक है। किसी भी जानकारी के असत्य पाये जाने पर की गयी वैधानिक कार्यवाही मुझे / हमें मान्य होगी।

शपथगृहीता

स्थान..............................
दिनांक...............................

नाम ....
पता ....

1. **गवाह का नाम व पता ....**
2. **गवाह का नाम व पता ....**

प्रपत्र – 3

<u>टर्न ओव्हर प्रमाण-पत्र प्रारूप</u>

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा श्री/मेंसर्स .... की ट्रेवल्स एजेंसी विगत तीन वर्षो के वित्तीय पत्रकों के अवलोकन उपरांत यह पाया गया है कि विगत तीन वर्षो में ट्रेवल्स एजेंसी का कुल टर्न ओव्हर एवं उस टर्न ओव्हर में से किराये के वाहन उपलब्ध करानें संबंधी कार्य का टर्न ओव्हर निम्नानुसार है।

क्रं.	वित्तीय वर्ष	कुल टर्न ओव्हर की राशि (राशि रूपये में)	किराये के वाहन उपलब्ध कराने संबंधी कार्य के टर्न ओव्हर की राशि (राशि रूपये में)
1	2021-2022		
2	2022-2023		
3	2023-2024		

इस प्रमाण पत्र में टर्न ओव्हर बावत् पाई गई किसी भी प्रकार की त्रुटी के लिय मैं पूर्णतः जवाबदार रहूंगा। उक्त प्रमाण पत्र मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर फर्म की मुद्र सहित जारी किया जा रहा है।

दिनांक......................

चार्टर्ड एकाउंटेट का नाम एवं हस्ताक्षर

UDIN NO......................

चार्टर्ड एकाउंटेट
फर्म का नाम पता एवं मुद्रा

प्रपत्र – 4

<u>चैकलिस्ट</u>

<u>तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित करें</u>

1. निविदा प्रपत्र में निविदाकर्ता के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी का प्रपत्र एवं संलग्नक।
2. निविदा का कुल मूल्य रूपये 5900 (जीएसटी 18% सहित) एवं 2,00,000 (दो लाख) ऑनलाइन जमा करना होगी।
3. शासकीय संस्था/संगठन के विगत 03 वर्ष (2021-22, 2022-23,2023-24) में किए गए कार्य का अनुभव के स्वप्रमाणित छायाप्रति जिसमें कार्य संतुष्टि प्रमाणपत्र एवं वर्तमान में किसी एक शासकीय विभाग के अंतर्गत कम से कम 10 वाहनों का संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करावे|
4. एजेंसी का टर्नओवर विगत तीन वित्तीय वर्षो 2021-22, 2022-23,2023-24 का **औसत टर्नओवर कम से कम रूपये 1 करोड़ का होने के** प्रमाण स्वरूप बैलेंश शीट की छायाप्रति, Chartered Accountant का सर्टिफिकेट आदि संलग्न करें। (Online UDIN generated Certificate)
5. जिन वाहनों का उल्लेख निविदा प्रपत्र में किया जा रहा है उनके
    1. पंजीयन
    2. फिटनेस
    3. बीमा
    4. टैक्सी परमिट
    5. PUC के दस्तावेज

    अलग अलग सेट बनाकर संलग्न करें।
6. एजेंसी का पैन, टेन एवं जी.एस.टी. पंजीयन क्रं. की छायाप्रति।
7. परिवहन व्यवसाय का RTO पंजीयन।

<u>प्रपत्र – 5</u>

निविदाकार द्वारा दी जाने वाली वाहनों की जानकारी

(आवश्यकता होने पर प्रथक से शीट संलग्न करे)

(कृपया एजेन्सी के स्वामित्व वाले वाहनों की जानकारी निम्न प्रारूप में दें व स्पष्ट छायाप्रति भी संलग्न करें।)

क्रं.	वाहन स्वामी का नाम (जिसके नाम पर वाहन का रजिस्ट्रेशन हैं)	वाहन का नाम	वाहन का मॉडल (वर्ष)	वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रं. छायाप्रति संलग्न करें	वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र छायाप्रति संलग्न करें	टेक्सी के रूप में मान्य प्रमाणन छायाप्रति संलग्न करें	बीमा Comprehensive Insurance छायाप्रति संलग्न करें
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

नोट :- सभी उल्लिखित वाहनों के पंजीकरण की छायाप्रति संलग्न करें।

निविदाकार का नाम

हस्ताक्षर :- सील

निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित दरें प्रपत्र ''6'' अनुसार 'ऑनलाइन जमा करे |

प्रपत्र – 6

निविदा प्रपत्र क्रं................/म.प्र.टू.बोर्ड/2025

मासिक आधार पर वाहन किराये पर प्रदाय करने हेतु निविदा पत्र

वित्तीय प्रस्ताव (A)

निविदाकार द्वारा प्रस्तावित किराया दरें।

क्रं.	वाहन का प्रकार	मासिक किराया 1500 कि.मी. रनिंग के लिये (A1)	1500 कि.मी. के बाद प्रति कि.मी.की दरें (A2)
1	स्विफ्ट डिजायर / हुंडई ऑरा / होंडा अमेज एवं समकक्ष		
2	सियाज एवं समकक्ष		
3	बोलेरो / बोलेरो N एवं समकक्ष		
4	स्कॉर्पियों N एवं समकक्ष		
5	क्रेटा एवं समकक्ष		
6	इनोवा क्रिष्टा एवं समकक्ष		
7	फॉर्च्यूनर, पजेरो एवं समकक्ष		

दिनांक

स्थान

निविदाकार के हस्ताक्षर

(सील सहित) नाम एवं पता

<u>दैनिक आधार पर एवं मुख्यालय से बाहर जाने हेतु वाहन किराये पर प्रदाय करने हेतु निविदा पत्र</u>

वित्तीय प्रस्ताव (B) ऑनलाइन जमा करे |

निविदाकार द्वारा प्रस्तावित किराया दरें।

क्रं.	वाहन का प्रकार	प्रतिदिन के लिये दरें		वाहन मुख्यालय से बाहर ले जाने की स्थिति में प्रतिदिन न्यूनतम 250 कि.मी. रनिंग देय होगी।
		10 घंटे, 120 कि.मी. हेतु (B1)	अतिरिक्त प्रति कि.मी. हेतु (B2)	(B3)
1	स्विफ्ट डिजायर / हुंडई ऑरा / होंडा अमेज एवं समकक्ष			
2	सियाज एवं समकक्ष			
3	बोलेरो / बोलेरो Neo, एवं समकक्ष			
4	स्कॉर्पियों N एवं समकक्ष			
5	क्रेटा एवं समकक्ष			
6	इनोवा क्रिष्टा एवं समकक्ष			
7	फॉर्च्यूनर, पजेरो एवं समकक्ष			
8	Caravan/Urbania 16–17-Seater			
9	टूरिस्ट व्हीकल/ टेम्पो ट्रैवलर 10-13 सीटर			
10	टूरिस्ट व्हीकल/ टेम्पो ट्रैवलर 15-20 सीटर			

दिनांक

स्थान

निविदाकार के हस्ताक्षर

(सील सहित) नाम एवं पता